झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1036 वर्ष 2017

राम सिंहासन सिंह .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. उपायुक्त, पलामू

3. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पलामू

4. जिला अभियंता, जिला परिषद्, पलामू

5. अंचलाधिकारी, चैनपुर, पलामू

6. ब्लॉक विकास आयुक्त, चैनपुर, पलामू

7. माणिक चंद सिंह .... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री राजीव रंजन तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिएः– श्री सर्वेन्द्र कुमार, एस0सी0 (एल एण्ड सी) के जे0सी0

उत्तरदाता–जिला परिषद, पलामू के लिएः–श्री कृष्णा मुरारी, अधिवक्ता

4 / 18.4.2017 याचिकाकर्ता, प्रतिवादी–राज्य और प्रतिवादी–जिला परिषद्, पलामू के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ता पलामू जिले के चैनपुर अंचल की पंचायत तालेया बभंडी की मुखिया हैं, जिसने अयोध्या कोल्हुआ गांव में प्लॉट संख्या 483, खाता संख्या 77 पर पंचायत भवन के निर्माण का मुद्दा उठाया है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल द्वारा उप विकास आयुक्त सह सचिव, जिला परिषद् को संबोधित करके जारी अनुलग्नक–15, ज्ञापन संख्या 1015, दिनांक 27 फरवरी, 2017 को उपरोक्त दावे के समर्थन में अनुपूरक शपथ पत्र के माध्यम से संलग्न किया गया है। याचिकाकर्ता की आशंका है कि वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता के बावजूद, जिसे ग्रामीण मुख्यालय में दान करने के लिए तैयार हैं, उपरोक्त स्थल पर निर्माण किया जा रहा है जो उचित नहीं है। प्रतिवादी सं0 2, उपायुक्त, पलामू को भी अभ्यावेदन जैसे कि अनुलग्नक–12 श्रृंखला दिए गए हैं, लेकिन याचिकाकर्ता को आशंका है कि कोई जांच या सत्यापन नहीं किया जा रहा है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता जिला परिषद् प्रस्तुत करते हैं कि उपायुक्त को मामले की जांच करने और प्रासंगिक तथ्यों और भूखंड के वन भूमि होने से संबंधित आरोपों के सत्यापन के बाद निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि इस मामले में निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन यह पर्याप्त होगा कि याचिकाकर्ता अर्थात् पंचायत के मुखिया

द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए मामले में जिला अधिकारियों द्वारा जांच की जाए।

पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। इस स्तर पर लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि सक्षम प्राधिकारी/उपायुक्त, पलामू, प्रत्यर्थी सं0 2–इस मामले की जांच करे कि क्या पंचायत भवन का निर्माण किसी विल्लंगम से मुक्त एवं वन भूमि से दूर एक निर्विवाद भूमि पर सही तरीके से हो रहा है। इस तरह का विचार आवश्यक तथ्यों और दस्तावेजों से विधिवत समर्थित याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के साथ आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर तेजी से किया जाना चाहिए।

तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

तथापि, इसमें ऊपर की गई टिप्पणियां, यदि कोई हों, मामले के गुण–दोष पर टिप्पणियां नहीं मानी जाएंगी।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)